प्रपत्र—1

परियोजना का नाम :— जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम गल्जवाडी में गल्जवाडी पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन विभाग(मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज में आरिक्षत वन भूमि 0.158 है0 तथा देहरादून वन प्रभाग की मालसी रेंज में आरिक्षत वन भूमि 0.522 है0 एवं सिविल /राजस्व भूमि 0.087 है0) कुल 0.767 है0 वन भूमि का पेयजल निगम को हस्तान्तरण।

प्रतिवेदन

(परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण)

वन भूमि की आवश्यकता — (मसूरी रेंज में 0.158 है0 एवं मालसी रेंज में 0.522 है0 एवं सिविल /राजस्व भूमि 0.087 है0) कुल 0.767 हैक्टेयर

विभाग का नाम — निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

गल्जवाडी पेयजल योजना की स्वीकृति — रू0 495.60 लाख

ग्राम पंचायत गल्जवाडी विकासखण्ड सहसपुर के अन्तर्गत बांसागाड से गल्जवाडी तक 6429 मी0 दूर स्थित जलाशय 100 के0एल0, जलाशय 100 के0एल0 से सन्तला देवी के समीप जलाशय 7.50 के0एल0 तक 3850 मी0, जलाशय 100 के0एल0 गल्जवाडी जलाशय 45 के0एल0 तक 4586 मी0 एवं जलाशय 45 के0एल0 से गल्जवाडी तक 600 मी0 है। राजस्व ग्राम गल्जवाडी के तोक गल्जवाडी के समुदाय को पेयजल हेतु पानी वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे, इस हेतु पेयजल निगम देहरादून द्वारा गल्जवाडी के लिये बांसागाड से पेयजल योजना बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिये वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.767 हैक्टेयर है उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा पेयजल योजना बिछाने हेतु उपयोग की जानी है। अतः उपरोक्त भूमि की क्षतिपूर्ति लागत उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा वन विभाग को भुगतान की जायेगी। पेयजल योजना के निर्माण में आने वाली वन भूमि के सम्बन्ध में गल्जवाडी की ग्राम पंचायत, राजस्व विभाग, पेयजल निगम एवं वन विभाग के अधिकारियो द्वारा निरीक्षण किया जा चुका है। निरीक्षण आख्या के क्रम में वन भूमि क्षतिपूर्ति प्रस्ताव तैयार कर आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

अधिशासी अभियन्ता
अधिशासी अभियंता
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
देहरादून ।

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून